न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीनअधिकारी :—सुभाषचन्द्रआर.ए.एस.

प्र.स. 50 / 2009

सीसीएमएस : 2009 / 00062

1 सुभाषचन्द्रपुत्र श्री कृष्णकुमार जाति मेघवाल साकिन 5 के.एस.डी.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज0   वादी

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र श्रीबालूराम जाति मेघवाल साकिन 5 के.एस.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज0।

2 कृष्णादेवी पुत्री स्व. श्री बालूराम पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

4 उप–पंजीयक, रायसिंहनगर।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–91–92ए–188–209राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रजू दिनांक 06.05.2009

उपस्थिति :—

1. श्री आर. आर. ओझा, वकीलवादी।
2. श्री सोहनलाल जोशी प्रतिवादी स. 1

:— निर्णय :—

दिनांक : 24.05.2024

1. संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. बालूराम वादी का हकीकी दादा लगता था जगदीश– कृष्णकुमार– कृष्णादेवी– बिरमादेवी मृतक बालूराम के पुत्र व पुत्रिया है और प्रतिवादी कृष्णकुमार वादी का पिता है स्व. बालूराम की धर्म पत्नी अर्थात वादी की दादी का देहान्त बालूराम के देहान्त से पूर्व हो चुका था और वादी के माता का भी देहान्त काफी अरसा पूर्व हो चुका है और वादी अपने पिता प्रतिवादी स. 1 कृष्णकुमार की एक मात्र संतान व वारिस है वादी के दादा बालूराम वल्द जीवनराम को वाके चक 5 के.एस.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 23 प.न. 248 / 364 के 25 बीघा व मु.न. 24 प.न. 248 / 365 के 24.10 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि अकेले को आवंटित हुई जिस पर उन्हे समस्त हक–हकूक का अधिकार हासिल है और उनके कब्जा काश्त मे थी और उनके द्वारा किश्ते आदि बेबाक कर खातेदारी अधिकार हासिल किये, जो भूमि वादी के दादा बालूराम के फोत होने के बाद विरासतन मे प्रतिवादीगण स. 1 वा 2 एव जगदीश–बिरमा को बहिस्सा बराबर–बराबर को हासिलहुईऔरवादी की बुआबिरमा ने अपना 1 / 4 हक का हिस्सा अपने हकीकी भाई जगदीश के पक्ष मे जरिये दस्तबरदारी छोड़ देने पर जगदीश का 1 / 2 हिस्सा वा प्रतिवादीगण स. 01 व 02 का 1 / 4–1 / 4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ और प्रतिवादीगण स. 01 व 02 जगदीश के मध्य विधिक तौर से बटवारा होने पर प्रतिवादीगण के नाम से प.न. 248 / 364 मु.न. 23 का 6.325 है. रकबा वा जगदीश के नाम से प.न. 248 / 365 मु.न. 24 का 6.199 है. रकबा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ इस प्रकार उपरोक्त रकबा जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा मे आता है जिसमे प्रतिवादी स. 01 का 1 / 4 भाग अर्थात 12.10 बीघा यानि 3.163 है. कमाण्ड कृषि भूमि है जिसमे जन्म से ही वादी का 1 / 2 हिस्सा अर्थात 6.05 बीघा भूमि पर हक–हकूक वा अधिकार बनता है और 1 / 2 [illegible] वादी अपने खातेदारी अधिकारो को घोषित करवा पाने का विधिक अ[illegible] इसलिये वाद लाने का अधिकारी है नकल जमाबन्दी स. [illegible] जमाबन्दी स. 2063–2066 संलग्न वाद है वादी अपने भाग [illegible] स. 01 व 02 के साथ काबिज होकर संयुक्त काश्त मे [illegible] की [illegible] को लेकरविवाद का भय रहने व अन्य कई परेशा[illegible] की [illegible] सुविधा बेहतर बनाने के लिये पक्षकारान [illegible] से बाहमी तौर से उपर [illegible] पैतृक सम्पति का बाहमी तौर पर बटवारा कुछ वर्ष पूर्व कर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जो बाहमी बटवारा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से किया गया है:–

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

(क) वादी सुभाषचन्द को पैतृक सम्पति मे उसके 1/4 भाग मे से 1/2 हिस्सा अनुसार चक 5 के.एस.डी. बी के प.न. 248/364 मु.न. 23 के कि.न. 11 12 19 20 21 22 शामिल सालम न 23 के 5 बिस्वा कमाण्ड यानि 1.582 है कृषि भूमि का वादी का कब्जा दिया गया जिस पर तब से निरन्तर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
(ख) प्रतिवादी स 01 कृष्णकुमार को पैतृक सम्पति मे उसके 1/4 भाग मे से 1/2 हिस्सा अनुसार वाके चक 5 के.एस.डी. बी के प.न. 248/364 मु.न. 23 के कि.न. 17 18 24 25 सालम सालम न 13 के 10 बिस्वा पश्चिमी पासा 23 के 15 बिस्वा पूर्वी पासा कुल 6.05 बीघा यानि 1.581 है कमाण्ड भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ जिस पर व काबिज है।
(ग) प्रतिवादीया स 02 को पैतृक सम्पति मे उसके 1/4 हिस्सा अनुसार शेष भूमि 5 के.एस.डी.बी मु.न 23 प.न. 248/364 के कि.न. 1 ता 10, 14,15 सालम सालम न 13 के 10 बिस्वा पूर्वी पासा कुल 12.10 बीघा यानि 3.162 है कमाण्ड भूमि प्राप्त हुई जिस पर व काबिज होकर काश्त कर रही है। वादी ने भूमि मे काफी मेहनत व खर्चा कर समतल बनाया और सिंचाई सुविधा सुधारी और उपजाउ पनता को गोबर खाद आदि डालकर बढ़ाया जिससे भूमि की उपजाउ पनता बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हो गई। प्रतिवादी स 01 शराबी-कबाबी व्यक्ति है और इसके वादी बाहमी बटवारा होने के पश्चात प्रतिवादीगण से निरन्तर अनुरोध करते रहे कि बाहमी बटवारा को स्वीकारते हुए कब्जा काश्त व बटवारा अनुसार राजस्व अभिलेखो मे अमल दरामद करवाते हुये अपने-अपने खाता अलग करवाने व पैतृक सम्पति अनुसार खातेदारी अधिकारो को स्वीकारते हुए रिकार्ड मे अमल दरामद करवाने की कार्यवाही मे सहयोग देवे तो प्रथमत टालमटोल पश्चात अतत दिनाक 03.05.2009 को बमुकाम 5 के एस.डी. बी तहसील रायसिंहनगर मे प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार बेदखल करने की धमकी दी यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखासमत है। वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि का वाद पत्र मे अंकित बाहमी बटवारा अनुसार खाता विभाजन एव वादी को चक 5के.एस.डी. बी तहसील रायसिंहनगर के मु.न 23 प.न 248/364 के 6.325 है कमाण्ड भूमि पैतृक सम्पति होने से उसमे प्रतिवादी स 1 कृष्णकुमार के 1/2 भाग मे वादी को 1/2 भाग का खातेदारी हक अधिकार घोषित करने की डिक्री पारित करने एव इसी अनुसार राजस्व अभिलेखो मे अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2 वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स 1 की तरफ से श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी स 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है प्रतिवादी अधिवक्ता वादी ने पता चक 5 केएसडी ए मे गलत लिखाया है। वादी ग्राम गोलूवाला तहसील पीलीबंगा मे निवास करता है वादी ने यह वंशावली गलत प्रस्तुत की है और इसमे अपने आपको वादी का पुत्र व बालूराम का पोता होना गलत दर्शाया है वादी मुझ प्रतिवादी का वारिस व सन्तान नही है। उक्त वाद में वर्णित सम्पति श्री बालूराम को आवंटित होने से कोई विरोध नही है, तथा बालूराम की मृत्यु के पश्चात यह भूमि के चारो वारिसो पर और होना भी स्वीकार है, परन्तु इस सम्पति मे वादी का कोई भी भाग नही है। वादी का किसी 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का कोई भाग नही है। वादी किसी भी प्रकार से घोषणा करवाने का अधिकारी भी नही है, ना कोई वाद लाने का अधिकारी है वादी की मुझ प्रतिवादी के साथ कोई कब्जा काश्त नही है और ना ही कभी संयुक्त काश्त की है। वादी की चक 5 केएसडीबी मे रिहायश ही नही है प.न.248/364 की काश्त मे प्रतिवादी करता रहा है तथा इस भूमि कि गत 3 वर्षो से मै प्रतिवादी व प्रतिवादी स 2 मिलकर उप काश्त करवाते रहे है। भूमि का बटवारा नही हुआ है बटवारा होना व बटवारा का प्रकार भी गलत लिखा है [illegible] सम्पति अभी तक मुझ प्रतिवादी के ही कब्जा काश्त मे है वादी को वादग्रस्त भूमि का [illegible] बटवारा के अनुसार कब्जा लेने का कथन करने [illegible] है वाद ग्रस्त सम्पदा मे प्रतिवादी ही उपकाश्त पर देता [illegible] विकसित करने का कोई कारण ही नही। मै प्रति[illegible] वादी का वादग्रस्त सम्पदा मे कोई हक नही है भूमि [illegible] भूमि की बिक्री का कथन भी कतई निराधार है जो मात्र दावा को तकनीकी बल [illegible] करने के लिए गलत लिखा गया है। वादी के लिए वाद ग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति नही है ना ही इस सम्पदा मे वादी का कोई हक है। उसका इस सम्पति मे किसी प्रकार का हित निहित नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

और न्यायालय में उसके विधिक कार्यो में कोई दखल देने की क्षमता नहीं रखता है द्वारा में अनावश्यक पक्षकारों के संयोजन का दोष है इसलिए भी वाद चलने के लायक नहीं है। अपने आपको मुझ प्रतिवादी का उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहता है जिसका अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

3 हमने प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यकविरचित किये

(1)आया विवादित भूमि पैतृक सम्पति है ?

(2) आया वादी चक नं 5 के.एस.डी. की तहसीलदार रायसिंहनगर का मु.न.23 प.न. 248/364 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. जरी भूमि पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होने से प्रतिवादी सं. 1 कृष्णकुमार के 1/2 भाग में से वादी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर उसके खातेदारी हक हकूक घोषित किए जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ? —वादी
पर प्रारम्भ से ही हक हकूक का अधिकार हासिल होने के कारण वादी अपने 1/2

(3)आया कि बाहमी बटवारा वाद-पत्र की मद सं. 4 (क.ख.ग) अनुसार पक्षकारान के मध्य विधिक खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाकर मुताबिक घोषणात्मक व खाता विभाजन डिक्री अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी सं. 3 के नाम पारित किया जावे। —वादी

(4)आया कि स्थाई व्यादेश वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से भूमि को रहन बेय करने एव वादी को जबरन बलपूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल करने एव प्रतिवादी सं. 3 दस्तावेज पंजीबद्ध करने से बाज व मनूअ रहे। —वादी

—वादी

(5) आया कि वादी का विवादित भूमि के किसी भाग पर वादी का कब्जा नहीं है इसलिए वह घोषणात्मक वाद लाने का अधिकारी नही है ?

— प्रतिवादी स.01

(6) आया कि प्रतिवादी ने वादी को पैत्रिकता से इन्कार किया हुआ है इसलिए भी वाद चलने लायक नहीं है ?

—प्रतिवादी स.01

(7) आया कि वादी ने बालूराम के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए भी वाद चलने लायक नही है ?

— प्रतिवादी स. 01

(8) अनुतोष ?

4 प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को अपनी संतान होने से इन्कार किया जिस के संबध में वादी के अधिवक्ता ने वारिस होने के संबध मे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंक तालिका मा. शि0 बोर्ड अजमेर, परिवार राशन कार्ड, संयुक्त फोटो ग्राफ दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके आधार पर प्रा. पत्र आ. 7 नि. 14 एव 151 सीपीसी जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

5 वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वय वादी सुभाष चन्द्र के द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है । वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे जमाबंदी बालूराम पुत्र जीवनराम प्रदर्श-1, नामान्तरण विरासत प्रदर्श-2, जमाबंदी 5 के.एस.डी. बी. प्रदर्श -3, पहचान पत्र सुभाष चन्द्र प्रदर्श -4, फोटो पहचान पत्र सुभाष चन्द्र प्रदर्श- 4ए, परिवार राशन कार्ड प्रदर्श-5 व फोटो पत्र प्रदर्श- 5ए, मा. शि. बोर्ड अंकतालिका प्रदर्श-6 व फोटो प्रति [illegible] व फोटो प्रति प्रदर्श- 7ए, संयुक्त फोटो प्रति प्रदर्श- 8एव फोटो प्र[illegible] है। अन्य साक्ष्यवादी में गवाहान पृथ्वीराज पुत्र श्री मनफ[illegible] पुत्र श्री मादरराम जाति मेघवाल ने शपथ-पत्र पेश कि[illegible] शामिल मिसल [illegible] है साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 के जिरह हेतु न्यायालय मे [illegible] का बन्द किया गया। जिरह वकील वादी द्वा[illegible]

6 हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा उस पर [illegible] किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए समस्त विधिक पहलुओं पर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

तैयार किया। इस प्रकरण की तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है

तनकी संख्या (1)आया विवादित भूमि पैतृक सम्पति है ? —वादी

उक्त विवाद्यक को साबित सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदेश–1 के अनुसार चक 5 के.एस.डी.बी. के मु.न. 248/364 के के 25-00 बीघा कमाण्ड भूमि व मु.न. 248/365 के 24-10 कुल तादाद 49-10बीघा कमाण्ड भूमि वादी के दादा स्व. बालूराम पुत्र जीवनराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है जो विरासतन दस्तावरदारी क्रमांक 556 दिनांक 14.06.1999 बालूराम के वारिसो के नाम इन्तकाल सं. 57/29 के दर्ज की गई है जो प्रदेश -2 है। वाके चक 5 के एस डी बी की जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 के खाता सं. 17/25 के मु.न. 23 प.न. 248/364 के 6.325हे0 कमाण्ड भूमि व मु.न. 24 प.न. 248/365 के 6.199 हे0 कमाण्ड भूमि कुल तादाद 12.524हे0 कमाण्ड भूमि मे जगदीश 1/2 हि. कृष्ण कुमार 1/4 हि. कृष्णादेवी /4 हि. पि. बालूराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार जो कि रहिन हि.जगदीश सहकारी भूमि वि.बैंक लि. रायसिंहनगर मुर्तहीन है जिसकी जमाबन्दी प्रदेश–3 है। जिसके कॉलम स. 11–12 मे नोट अंकित है कि इन्तकाल स. 19 बटवारा 7.05.07 से कृष्ण कुमार ,कृष्णादेवी पि. बालूराम सा. देह बहिव के नाम मु. न. 23 का 6.6325हे खातेदार , तथा जगदीश के नाम मु.न. 24 के 6.199 हे खातेदार रहन बदस्तूर। इ.न. 123 दिनांक 7.05.07 जगदीश का रकबा सहकारी भूमि वि.बैंक रायसिंहनगर से रहन फाक हुआ। का नोट अंकित है। वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोकमवाला द्वारा 7.01.1998 जारी किया है। उक्त तथ्यो की पुष्टि वादी स्वयं सुभाष चन्द पुत्र श्री कृष्ण कुमार , गवाह हंसराज पुत्र श्री मादूराम , पृथ्वीराज पुत्र श्री मनफूलराम अपने ब्यानो मे करते है। उक्त विवादित आराजी भूमि वादी के दादा बालूराम से विरासतन मे उनके वारिसो के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद सम्पति है। वादी ने अपने तहरीर साक्ष्य बुनावा पहचान स्वयं प्रदेश–4ए, राशन कार्ड प्रदेश–5ए , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्रमांक 624463 पंजीयन सं 5/657418 प्रदेश– 6 ए, आधार कार्ड सं. 9870 0735 5055 प्रदेश– 7 ए , फोटो प्रति प्रदेश–8 ए की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की ,जिसके अवलोकन से वादी के पिता का नाम कृष्ण कुमार अंकित है। इस के खण्डन मे प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य /दस्तावेजात सबूत प्रस्तुत नही किये है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा मे स्वीकार है कि उक्त विवादित भूमि बालूराम को आवंटन है। वादी इस तनकी को साबित करने मे पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी विरूद्व प्रतिववादी सं. 1 बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (2) आया वादी वाके चक 5 के.एस.डी. बी. तहसील रायसिंनगर का मु. नं. 23 प.नं. 248/364 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है नहरी भूमि पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होने से प्रतिवादी सं. 1 कृष्णकुमार के 1/2 भाग मे से वादी को 1/2 भाग पर प्रारम्भ से ही हक हकूक या अधिकार हासिल होने के कारण वादी अपने 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर उसके खातेदारी हक हकूक घोषित किए जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ? —वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । इस तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व निर्णीत की चुकी है। है। अतः इस तनकी को साबित करने मे पूर्णतया सफल रहा है। वादी [illegible] जायदाद होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है [illegible] विरूद्व प्रतिववादी सं. 1 बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (3) आया कि वादी [illegible] वाद -पत्र [illegible] सं. 4 (क,ख,ग) अनुसार पक्षकारान के मध्य विधिक खाता [illegible] मुताबिक घोषणात्मक व खाता विभाजन डिक्री [illegible] दरामद करने के आदेश प्रतिवादी सं. 3 के नाम पारित किया जावे। —वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। इस तनकी का अधिकतर सिद्व तनकी सं. 1 मे किया जा चुका है। वादी उक्त विवादित भूमि पैतृक जद्दी जायदाद

उपखण्ड अधिकारी

होने के कारण अपना हक प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी वादी के स्व.दादा बालूराम पुत्र जीवनराम के नाम थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी विरासतन प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद की श्रेणी मे आती है। जिसमे वादी अपना हिस्सा प्राप्त कर बटवारा करवाना का अधिकारी है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं 4 के क. ख. ग. के अनुसार घरू बटवारा होना बताया है। इसी अनुसार सामूहिक काश्त करना अंकित किया है। इस बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नही किया गया। ना ही इसके खण्डन मे प्रतिवादीगण ने गवाह/दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस तनकी को वादी के पक्ष मे आंशिक स्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या (4) आया कि स्थाई व्यादेश वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से भूमि को रहन बैय करने एवं वादी को जबरन बलपूर्वक विधि विरूद्व तरीके से बेदखल करने एवं प्रतिवादी स. 3 दस्तावेज पंजीबद्व करने से बाज व बमून रहे। —प्रतिवादी स. 1

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी स. 1 पर था। विवादित भूमि प्रदर्श–1 के अनुसार वादी के स्व. दादा बालूराम के नाम दर्ज है। जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त विवादित भूमि विरासतन प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। जिसको प्रतिवादी अपने जवाब मे स्वीकार करते है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम का फायदा उठा कर अन्य को बेचान करता है तो इससे नुकसान प्रतिवादीगण को न होकर वादी को होगा। जिसकी अपूर्णिय क्षति पूर्ण नही की जा सकती। ऐसी स्थिति मे इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ बहक वादी की जाती है।

तनकी संख्या (5) आया कि वादी का विवादित भूमि के किसी भाग पर वादी का कब्जा नही है इसलिए वह घोषणात्मक वाद लाने का अधिकारी नही है ? –प्रतिवादी स. 01

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी स. 1 पर था। इस तनकी का अधिकतर निर्णय तनकी सं. 1 में किया जा चुका है। विवादित आराजी पैतृक सम्पति जद्दी जायदाद की श्रेणी मे आती है। तो वादी अन्तर्गत धारा 53–88–91–92ए–88–209 राज.काश्त. अधिनियम मे वाद–पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त तथ्यो के खण्डन मे प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेज /साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी स. 1 के खिलाफ वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या (6) आया कि प्रतिवादी ने वादी को पैत्रिकृता से इन्कार किया हुआ है इसलिए भी वाद चलने लायक नहीं है ? –:प्रतिवादी सं. 01

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। इस तनकी का निर्णय अधिकतकर तनकी न. 1–2–3–4 मे किया जा चुका है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी स. 1 खिलाफ वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी संख्या (7) आया कि वादी ने बालूराम के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया है इसलिए भी वाद चलने लायक नहीं है ? –:प्रतिवादी सं. 01

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी स. 1 पर था। इस तनकी का निर्णय अधिकतकर तनकी न. 1 2 3 4 मे किया जा चुका है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी स. 1 खिलाफ वादी के पक्ष [illegible]

तनकी संख्या (8) अनुतोष ?

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 7 [illegible] निर्णीत की जा चुकी है। अत: वादी को अनुतोष प्र[illegible] अधिकारी [illegible] है।

—:क्रियान्विति आदेश:—

अत: उक्त विवेचन के आलोक मे वाद [illegible] 88 91 92ए 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि [illegible] 5 के एस.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 23 प.न. 248/364 के 6.325 है0

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

... भूमि प्रतिवादी सं 1 कृष्ण कुमार पुत्र बालूराम के साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार ... किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। स्थाई ... प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध पारित की जाती है कि विवादित भूमि को बेचान नही ... एवं डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ... बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

... आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{ सुभाषचन्द(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द आर.ए.एस.

द.सं. 50 / 2009
सीसीएमएस : 2009 / 00062

1 सुभाषचन्द्रपुत्र श्री कृष्णकुमार जाति मेघवाल साकिन 5 के.एस.डी.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज0
—:वादी

बनाम

2 कृष्ण कुमार पुत्र श्रीबालूराम जाति मेघवाल साकिन 5 के.एस.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज0।
3 कृष्णादेवी पुत्री स्व. श्री बालूराम पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
5 उप–पंजीयक, रायसिंहनगर।
—:प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–91–92ए–188–209राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
रजू दिनांक 06.05.2009

—:निर्णय :— दिनांक.—24.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री श्री आर आर ओझा अधिवक्ता वादी, श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 पेश होने पर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:– वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53–88–91–92ए–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वाके चक 5 के.एस.डी. बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 23 प.न. 248 / 364 के 6.325 है0 कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 1 कृष्ण कुमार पुत्र बालूराम के साथ 1 / 2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। स्थाई निषधाज्ञा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध पारित की जाती है कि विवादित भूमि को बेचान नहीं करेगा। शेष रहन बदस्तूर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 24.05.2024 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी	2.00	7 जवाब पत्र के लिए स्टाम्प	
2 वकील पत्र के लिए स्टाम्प		8 अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 अर्जी के लिए स्टाम्प		[illegible]	
गवाहों पर फीस की फीस		[illegible]	
4 तलबाना के लिए नियोजित ख़र्चा		[illegible]	
5 कमिश्नर की फीस		[illegible]	
6 अधिवक्ता की फीस			
जोड़			

517
6/6/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर